राजस्थान में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट

सामाजिक अंकेक्षण अवधि : वर्ष 2022–23

By:

Society for Social Audit, Accountability and Transparency (SSAAT), Govt. of Rajasthan.

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर

Email id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-227033

WebSite: www.socialaudit.rajasthan.gov.in

विषयसूची

क्र.सं.	विषय वस्तु	पेज न.
1	परिचय	3
	1.1 सामाजिक अंकेक्षण	3
	1.2 सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शितासोसायटी **(SSAAT)**	4
2	राजस्थान में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)	5
	2.1 प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी	6
	2.2 प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के उद्देश्य	6
	2.3 प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) की विशेषताऐं	7
3	कार्यान्वयन एजेंसी	8
4	सामाजिक अंकेक्षण शासनादेश **(MANDATE)**	8
5	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) राजस्थान का सामाजिक अंकेक्षण	9
6	अंकेक्षण दलो का गठन	11
7	प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के सामाजिक अंकेक्षण के बिंदु	13
8	सामजिक अंकेक्षण दल द्वारा पाई गई अनियमितताओं/कमियों का विवरण एवं टिप्पणी	14
9	वर्ष 2022–2023 में सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में पायी गयी अनियमितताओ का प्रतिशत	27

1-परिचय

1.1 सामाजिक अंकेक्षण

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा वास्तविक लाभार्थियों को सम्पूर्ण अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु समाज के प्रभावित पक्षों, सिविल सोसायटी संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं आम नागरिकों द्वारा तथ्य परख निगरानी व्यवस्था ही ''सामाजिक अंकेक्षण'' है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शब्दों में "पारदर्शिता" एवं "जवाबदेहिता" लोकतंत्र के दो स्तंभ हैं– एक अवधारणा के रूप में सामाजिक अंकेक्षण पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता–दोनों के उद्देश्यों की जमीनी स्तर पर पूर्ती करता है। सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत स्वैच्छिक संस्था "मज़दूर किसान शक्ति संगठन" द्वारा की गयी, जिसमें सरकारी कार्यों एवं व्यय हेतु राजस्थान के भीलवाडा में जन सुनवाई हुई। पंचायती राज अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं सरकार के कार्यों की स्थानीय निगरानी का कार्य सौंपा गया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005, ई–गवर्नेंस आदि के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की नींव रखी गयी तथा जनता को सरकारी रिकॉर्डों तक पहुँच प्रदान की गयी।

इस हेतु विभिन्न योजनाओं के दिशा निर्देशों में भारत सरकार द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने संबंधी निर्देशों का समावेश किया हुआ है ताकि उन योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ प्राप्त हो रहे हैं, कि समीक्षा जनसाधारण द्वारा होती रहे, समस्त वांछित सूचनायें पूर्ण पारदर्शितापूर्वक उपलब्ध हो सके तथा सबसे कमजोर वर्ग की आवाज भी शासन के सर्वोच्च पदों पर पदासीन अधिकारियों तक सुगमतापूर्वक पहुंचे। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम ऐसा प्रथम राष्ट्रीय कानून है, जिसमें सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को विधिवत् स्वीकार किया गया है। मनरेगा के अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हेतु सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य बनाया गया है।

सोशल ऑडिट की अवधारणा के तहत सूचनाओं को आमजन तक पहुँचाया जाता है, ताकि किसी कार्यक्रम के लिए नीति बनाने से लेकर उसके कार्यान्वयन और मूल्यांकन तक का ब्यौरा पारदर्शी हो सके। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के चरण निम्नानुसार है–

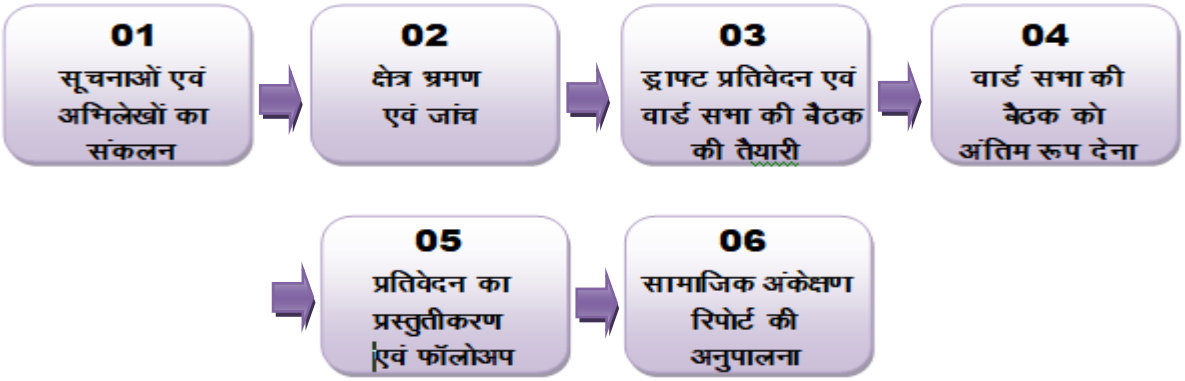

1.2 सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक M13015/2021/MGNREGA Vii/pt- दिनांक 11.08.2014 में प्रदत्त निर्देशानुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत मंत्री मण्डलीय ज्ञापन संख्या एफ11(8)/ग्रा.वि./नरेगा/सिविल सोसायटी/सा.अंके./2015 दिनांक 19.06.2019 पर हुए मंत्रीमण्डलीय आज्ञा क्रमांक डी.49/मं.मं./2019 दिनांक 27.06.2019 पालना में SSAAT के गठन का अनुमोदन किया गया। इसकी पालना में SSAAT का पंजीकरण राजस्थान पंजीयन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अन्तर्गत करवाया गया जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक COOP/2019/Jaipur/104900 दिनांक 20.08.2019 है। SSAAT की विधिवत अधिसूचना राजस्थान राजपत्र साधारण दिनांक 19.09.2019 में प्रकाशित की गई है।

उपरोक्तानुसार एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई SSAAT का गठन किया गया है। इससे ना केवल अधिनियम के प्रावधानों की बेहतर पालना की जा सकेगी, बल्कि सामाजिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकेगा। वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा, मिड–डे–मिल योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अलावा स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण, पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों एवं योजना का भी सामाजिक अंकेक्षण करवाया जा रहा है।

2. राजस्थान में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों को किफायती आवास समाधान प्रदान करना है। इसका उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करना है, क्योंकि उस समय तक देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से विकलांग समूहों, महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित अल्पसंख्यक लोगों जैसे विशिष्ट जनसांख्यिकी के लिए आवास उपलब्ध कराना भी है।

इस पहल के तहत भारत के शहरी गरीबों के लाभ के लिए पर्यावरण के अनुकूल निर्माण विधियों का उपयोग करते हुए, चुनिंदा शहरों और कस्बों में किफायती घरों का निर्माण किया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए भी पात्र हैं यदि वे घर खरीदने या बनाने के लिए ऋण का उपयोग करते हैं।

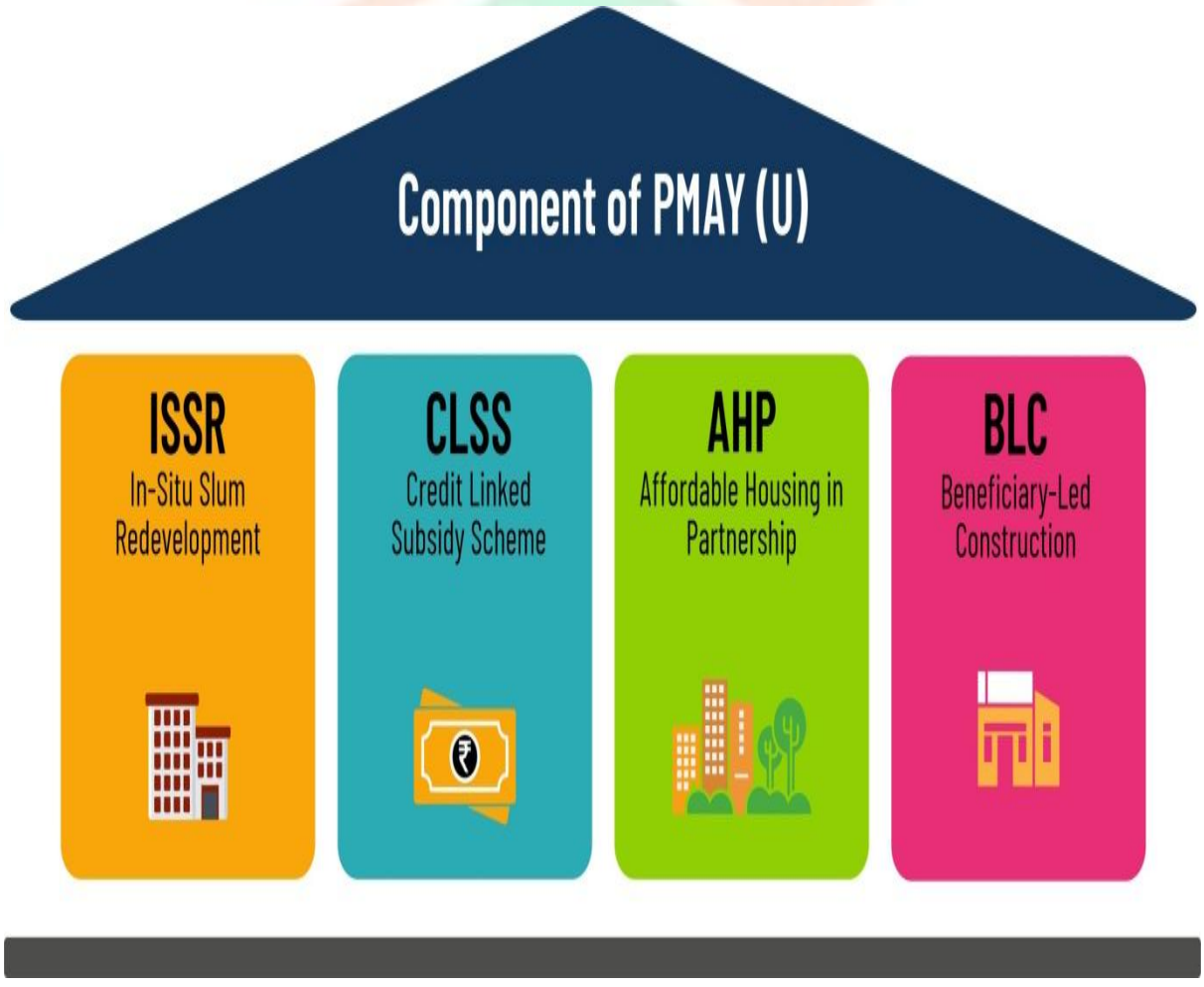

2.1 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी

एक लाभार्थी परिवार में पत्नी, पति, अविवाहित पुत्रियां और/या अविवाहित पुत्र शामिल होंगे।एक लाभार्थी परिवार देश के किसी भी हिस्से (भारत) में अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्य की ओर से पक्के घर का मालिक नहीं होना चाहिए।

2.2 प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के शहरी गरीब लोगों, जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है या वह बेघर है, उन्हें सरकार द्वारा पक्के घर की सुविधा उपलब्ध कराना है।

इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक प्रत्येक पात्र परिवार को स्वंय का घर उपलब्ध कराना रखा गया था।

गरीब वर्गों के लिए वर्ष 2022 तक दो करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था।

सरकार बिल्डरों की सहायता से चुनिन्दा शहरों में पक्के घरों का निर्माण करने की कोशिश कर रही है। इस योजना के तहत प्रदान किए गए घरों को एक वयस्क महिला सदस्य या पुरुषों के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व किया जाएगा।

2.2 प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) की विशेषताएं

20 साल की अवधि के लिए प्रत्येक लाभार्थी को आवास ऋण पर प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत दी जाने वाली सब्सिडी ब्याज दर 6.50% प्रति वर्ष है।

भूतल के विभाजन में वरिष्ठ नागरिकों के साथ–साथ विकलांग नागरिकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग को वरीयता दी जाएगी। निर्माण सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक का उपयोग करके किया जाएगा।

इस योजना में देश के पूरे शहरी क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसमें 4041 विधायी कस्बों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रथम श्रेणी के 500 शहरों को प्राथमिकता दी गई है। जो 3 चरणों में होने जा रहा है। पीएम आवास योजना क्रेडिट–लिंक्ड सब्सिडी सुविधा भारत में सभी विधायी शहरों में शुरुआती चरणों से शुरू की गई है।

3. कार्यान्वयन एजेंसी

राजस्थान राज्य में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) की नोडल एजेंसी के रूप में राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज और आधारभूत संरचना कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RUDSICO) कार्य कर रही है।

4. सामाजिक अंकेक्षण शासनादेश (MANDATE)

प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु आवास और शहरी मामलात मंत्रालयके आदेशक्रमांक एन–11026/06/2014–पीपीजी/एफटीएस–11733दिनांक 26.06.2015तथा राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के आदेश क्रमांक रूडसीको/पी.डी.(हा)/जयपुर 2022–23/1931 दिनांक 07.10.2022 के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)का सामाजिक अंकेक्षण किया जाने का प्रावधानकिया गया है, इसअंकेक्षण कार्य के लिए सामजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी, राजस्थान,जयपुर को अधिकृत किया गया था।

बालोतरा (पीएच–1) परियोजना, जिला–बाड़मेर

5. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) राजस्थान का सामाजिक अंकेक्षण

- **दिनांक 27.7.2021** : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत निर्मित आवासो का सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्णय लेते हुए शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को योजना के अन्तर्गत निर्मित आवासो का सामाजिक अंकेक्षण कराने पर सहमति प्रदान करने, विभाग द्वारा जारी आवश्यक परिपत्र एवं दिशा निर्देश की प्रतियॉ उपलब्ध करवाने के लिए लिखा गया।

- **दिनांक 04.05.2022** : कार्यकारी निदेशक (Housing) राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज और आधारभूत संरचना कॉर्पोरेशन लिमिटेडद्वारा 11 पूर्ण AHP (Affordable Housing in Partnership) प्रोजेक्ट का सामाजिक अंकेक्षण करवाने का निवेदन किया ताकि उन्हें भारत सरकार से तीसरी एवं अंतिम किश्त प्राप्त हो सके।

- **दिनांक 19.7.2022** : सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)का सामाजिक अंकेक्षण किये जाने हेतु एक ड्राफ्ट प्रारूप तैयार कर परियोजना निदेशक (आवास) राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज और आधारभूत संरचना कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RUDSICO) को अनुमोदनार्थ भिजवाया गया।

- **दिनांक 6.7.2022** : राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज और आधारभूत संरचना कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RUDSICO) द्वारा 12 पूर्ण परियोजनाओ का सामाजिक अंकेक्षण किये जाने हेतु होने वाले अनुमत्त व्यय का विवरण चाहा गया। जिसके एवज में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा 25.8.2022 को राशि रू. 6.42 लाख का विस्तृत्व प्रस्ताव परियोजना निदेशक(आवास) को प्रेषित किया जिसके अनुसार 6064 निर्मित आवासो में से 80% आवास (4848) का सामाजिक अंकेक्षण करवाने पर होने वाले व्यय की गणना की गयी थी।

- **दिनांक 7.10.2022** : कार्यकारी निदेशक, राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज और आधारभूत संरचना कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RUDSICO) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत स्वीकृत आवासो का सामाजिक अंकेक्षण किये जाने हेतु मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) को अधिकृत किया गया है।

- **दिनांक 11.11.2022** : कार्यकारी निदेशक (Housing) राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज और आधारभूत संरचना कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RUDSICO) द्वारा राशि रूपये 6.42 लाख के हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गयी।

- **दिनांक 28.11.2022** : प्रोजेक्ट इंजिनियर, राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज और आधारभूत संरचना कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RUDSICO) द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के प्रोफोर्मा को Vet करके सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी को भिजवाया गया।

- **दिनांक 4.11.2022** : सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)की शासी निकाय की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का सामाजिक अंकेक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया।

- **दिनांक 12.01.2023** : कार्यकारी निदेशक, को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत निर्मित आवासों का सामाजिक अंकेक्षण दिनांक 01.02.2023 से 03.02.2023 तक किये जाने हेतु पूर्ण प्रक्रिया से निम्नानुसार अवगत कराया–

  - सामाजिक अंकेक्षण हेतु कलेण्डर का निर्माण।
  - सामाजिक अंकेक्षण दलो को प्रशिक्षण एवं अंकेक्षण हेतु सामग्री उपलब्ध कराना।
  - सामाजिक अंकेक्षण दलो को मानदेय के भुगतान की गणना
  - कार्यकारी संस्था द्वारा प्रभारी अधिकारी की नियुक्तियां जो अंकेक्षण दलो को सहयोग प्रदान करेगे।
  - सामाजिक अंकेक्षण कार्य के उपरांत वार्ड सभा का आयोजन।
  - सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट अपलोड करने की प्रक्रिया।
  - सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में सामने आयी अनियमितताओं पर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही।

6. अंकेक्षण दलो का गठन

राजस्थान में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)के सामाजिक अंकेक्षणके लिए निम्नानुसार दलो का गठन किया गया –

क्रसं	परियोजना का नाम	निर्मित आवासों की संख्या	सा.अंके. हेतु चयनित आवासो की संख्या	जॉच दलो की संख्या	गूगल लिंक पर अपलोड रिपोर्ट की संख्या
1.	यू.आई.टी भीलवाड़ा	604	483	8	8
2.	एस.पी.एम भरतपुर	320	256	4	4
3.	आंगनवा जोधपुर	544	435	7	7
4.	बलोतरा (पीएच –1)	608	486	8	8
5.	मोहन लाल सुखाडिया कोटा/यू.आई.टी	368	294	5	5
6	चन्द शेखर आजादकोटा/यू.आई.टी	640	512	9	9
7.	रायपुरायोजना कोटा/यू. आई.टी	288	230	4	4
8	एम.एल.एस ब्लॉक, डी एंड जी,कोटा/यू.आई.टी	532	425	7	7
9	मंगलम अपार्टमेंट प्रेमनगर, कोटा/यूआईटी	368	294	3	3
10	बेडवास उदयपुर/यू. आई.टी	848	678	10	10
11	गॉधीनगर चित्तोडगढ/नगर परिषद	304	243	4	4
12	आर 1 से आर 4 साउथ एक्सटेंशन उदयपुर/यू. आई.टी	640	512	3	3
योग		6064	4848	72	72

<u>पर्यवेक्षण दल</u> :–

सामाजिक अंकेक्षण दल का पर्यवेक्षण किये जाने हेतु सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी(SSAAT) कार्यालय से माह फरवरी में 4 अधिकारियो की ड्यूटी 7 जिलों(भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तोडगढ़, कोटा, जोधपुर, बाड़मेर, भरतपुर) में एवं माह अप्रेल में 3 अधिकारियो की ड्यूटी जिला (कोटा) में लगायी गयी साथ ही इन्हे निर्देशित किया की ये वार्ड सभा में भी उपस्थित रहेगे।

दिनांक 1.2.2023 से 3.2.2023 तक सम्पन्न हुए सामाजिक अंकेक्षण कार्य में कुछ परियोजनाओं में ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण कोटा जिले की चार परियोजनाओं के 1461 आवासो का सामाजिक अंकेक्षण कार्य शुरू नही हो सका। जिसे करवाने हेतु पुनः सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर दिनांक 04.04.2023 से 13.4.2023 तक जारी किया गया।

जिलेवार परियोजनाओं की संख्या

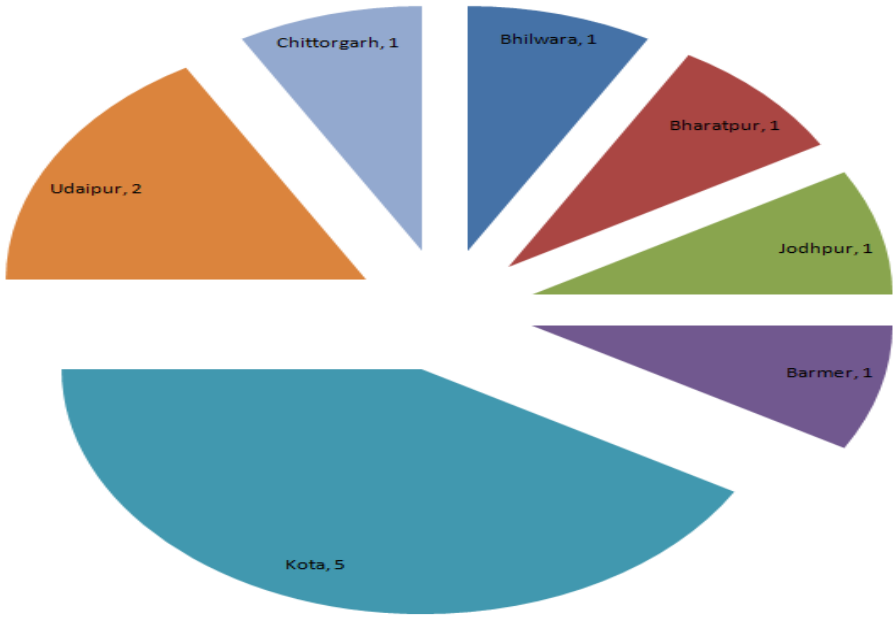

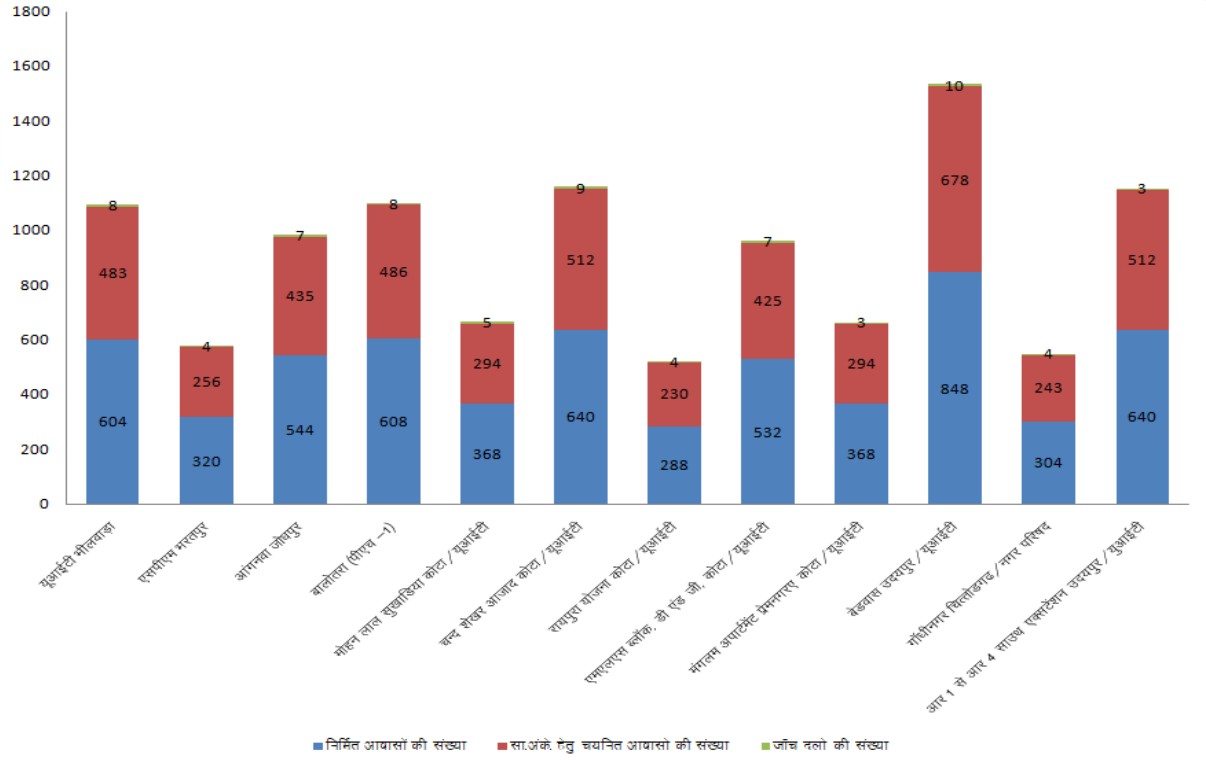

सभी सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स को जिले की कार्यकारी संस्था द्वारा गूगल लिंक https://forms.gle/3kbm4jttpqVQSqksg8 (PMAYURBAN)पर अपलोड किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

7. प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के सामाजिक अंकेक्षण के बिंदु

1. जागरूकता – लाभार्थियों में जागरूकता हैं अथवा नहीं
2. समावेश – आवास योजना में अजा/अजजा/पिछडावर्ग/अल्पसंख्यक/अलग रूप से सक्षम व्यक्ति/ट्रांसजेन्डर/हाथ से मैला ढोने वाले/ महिलाओं आदि का समावेश किया गया है अथवा नहीं
3. भागीदारी – योजना में बैंक/बिल्डर की भागीदारी है अथवा नही
4. प्रभावशीलता और दक्षता – आवास निर्धारित अवधि में तथा निर्धारित मानको एवं विस्तृत जानकारी में पूर्ण हुआ अथवा नहीं
5. पारदर्शिता– प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी, वित्तीय जानकारी सार्वजनिक है या नही
6. वार्षिक कार्य योजना, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाभार्थियों का चयन एवं आवंटन में पारदर्शिता है अथवा नही
7. तकनीकी समितिका अस्तित्व है अथवा नहीं
8. मुद्दे और शिकायत– क्या कोई अनसुलझे मुद्दे
9. शिकायत है यदि हॉ तो विवरण.....

10. गुणवत्ता की निगरानी – तकनीकी कमेटी द्वारा प्रोजेक्ट की गतिविधियों एवं कार्यो का पर्यवेक्षण किया जाता है अथवा नहीं।

    (SLTC) - स्टेट लेवल टेक्निकल सेल द्वारा प्रोजेक्ट की गतिविधियों एवं कार्यो का पर्यवेक्षण किया जाता है अथवा नहीं

    (CLTC) - सिटी लेवल टेक्निकल सेल द्वारा प्रोजेक्ट की गतिविधियों एवं कार्यो का पर्यवेक्षण किया जाता है अथवा नहीं
11. जवाबदेहिता – कदाचार एवं भ्रष्टाचार से बचने का उपाय है अथवा नहीं।
12. शिकायत निवारण का तंत्र है अथवा नहीं
13. आवंटन– राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के आधार पर आवंटन पात्र लाभार्थियों को हुआ अथवा नहीं।
14. आवास शहरी में आधारभूत सुविधाओं के संबंध मेंआवास में बिजली कनेक्शन है अथवा नहीं
15. आवास में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं
16. आवास निर्माण की क्वालिटी अच्छी है अथवा खराब
17. आवास निर्धारित मॉडल के अनुसार निर्मित है अथवा नहीं
18. सीवरेज, संपर्क सडक, सार्वजनिक पार्क, सामुदायिक भवन की सुविधा उपलब्ध है अथवा नही
19. अस्पताल, सरकारी स्कूल की दूरी, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की सुविधा है अथवा नही
20. जल संरक्षण हो रहा है अथवा नही
21. ट्री प्लांटेशन है अथवा नहीं
22. सौर ऊर्जा सुविधा का लाभ मिला है अथवा नहीं
23. आवासीय कल्याणकारी संगठन का गठन हुआ अथवा नहीं
24. अन्य बिंदु

8. सामजिक अंकेक्षण दल द्वारा पाई गई अनियमितताओं/कमियों का विवरण एवं टिप्पणी

1. परियोजना का नाम– बालोतरा(पीएच–1) जिला–बाड़मेर

सा. अं. दिनांक	अनियमितताएं	सामाजिक अंकेक्षण दल की टिप्पणी
01/02/2023 से 03/02/2023	• आवास निर्धारित अवधि तथा मानकों की विस्तृत जानकारी में पूर्ण नही हुए • प्रोजेक्ट की विस्तृत एवं वित्तीय जानकारी सार्वजनिक नही है • लाभार्थियों के चयन एवं आवंटन में पारदर्शिता नही है • तकनिकी समिति का अस्तित्व नही है • SLTC द्वारा पर्यवेक्षण नही किया जाता है • CLTC द्वारा पर्यवेक्षण नही किया जाता है • कदाचार एवं भ्रष्टाचार से बचने का उपाय नही है • शिकायत निवारण तंत्र नही है • राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के आधार पर आवंटन नही हुए • आवास में बिजली कनेक्शन नही है • आवास में स्वच्छ पेयजल सुविधा नही है • निर्माण की क्वालिटी ख़राब है • आवास निर्धारित मोडल के अनुसार नही है • सीवरेज, सम्पर्क सड़क, सार्वजानिक पार्क, सामुदायिक भवन की सुविधा उपलब्ध नही है • जल संरक्षण नही हो रहा है • ट्री प्लांटेशन नही हो रहा है • सौर उर्जा सुविधा का लाभ नही मिल रहा है • आवासीय कल्याणकारी संगठन का गठन नही हुआ है • उजाला लाइट (एल.ई.डी.) उपलब्ध नही करायी गई • आयुष्मान भारत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नही है • उज्ज्वला योजना का लाभ नही मिला	i. घटिया निर्माण सामग्री ii. खिड़की दरवाजे नही iii. बिजली एवं पानी नही iv. छत क्षतिग्रस्त है v. दरारें आई हुई है एवं दरारों में वाइट केमिकल भरा हुआ है अनियमितताओं की जान हेतु उच्च स्तरीय जान की आवश्यकता पाई गई।

<u>सोसाइटी द्वारा गठित पर्यवेक्षण दल की टिप्पणी</u> –

नगर परिषद बालोतरा द्वारा अंकेक्षण दलों को आवश्यक रिकॉर्ड जैसे लाभार्थियों की सूची, समाजिक अंकेक्षण प्रपत्र एवं आवास का नक्शा, अनुबंध पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, भुगतान वाउचर्स आदि रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया एवं सामाजिक अंकेक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ।

लक्ष्मी नारायण जलुथरिया
(सहायक लेखाधिकारी द्वितीय)

2. परियोजना का नाम– आंगनवा जोधपुर जिला–जोधपुर

सा. अं. दिनांक	अनियमितताएं	सामाजिक अंकेक्षण दल की टिप्पणी
01/02/2023 से 03/02/2023	• लाभार्थियों में जागरूकता नही है • अस्पताल, सरकारी स्कूल की दूरी सार्वजानिक परिवहन व्यवस्थान एवं आवश्यक वस्तुओं की सुविधा नही है • सौर उर्जा सुविधा का लाभ नही मिल रहा है • सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नही है • उजाला लाइट (एल.ई.डी.) उपलब्ध नही करायी गई • आयुष्मान भारत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नही है • उज्ज्वला योजना का लाभ नही मिला	i. घटिया निर्माण सामग्री जिसको लाभार्थी ने स्वयं सही करवाया ii. नल सामग्री घटिया है एवं कहीं पर है ही नही iii. आवासों को किराये पर दिया हुआ है iv. 62 में से 58 मकान बंद मिले v. मकानों को बेचने के उद्देश्य से लिया गया पाया गया

<u>सोसाइटी द्वारा गठित पर्यवेक्षण दल की टिप्पणी</u> –

आंगनवा परियोजना जोधपुर के सामाजिक अंकेक्षण में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लाभार्थियों की सूची, सामाजिक अंकेक्षण प्रपत्र, आवास का नक्शा अनुबंध पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, भुगतान वाउचर आदि आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध करवाए गए एवं प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

लक्ष्मी नारायण जलुथरिया (सहायक लेखाधिकारी द्वितीय)

3. परियोजना का नाम– गॉधीनगर चित्तोडगढ/नगर परिषद जिला–चित्तोडगढ

सा. अं. दिनांक	अनियमितताएं	अंकेक्षण दलों द्वारा पाई गई अतिरिक्त अनियमितताएं	सामाजिक अंकेक्षण दल की टिप्पणी
01/02/2023 से 03/02/2023	• आवास निर्धारित अवधि तथा मानकों की विस्तृत जानकारी में पूर्ण नही हुए • प्रोजेक्ट की विस्तृत एवं वित्तीय जानकारी सार्वजानिक नही है • तकनिकी समिति का अस्तित्व नही है • SLTC द्वारा पर्यवेक्षण नही किया जाता है • CLTC द्वारा पर्यवेक्षण नही किया जाता है	**दल – I** • आवास में स्वच्छ पेयजल सुविधा नही है • आवासीय कल्याणकारी संगठन का गठन नही हुआ है **दल–II** • वार्षिक कार्य योजना, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट,लाभार्थियों के चयन एवं आवंटन में पारदर्शिता नही है	i. सूचना बोर्ड एवं वाल पेंटिंग नही है ii. वार्ड सभा का प्रचार प्रसार की जवाबदेही किसी की नही पाई गई ii. वार्ड सभा की कार्यवाही लिखने वाला कोई जिम्मेदार उपलब्ध नही है iv. अधिकांश आवास खाली मिले v. EWS की आवास साइज़ मानक से अधिक बताई गई vi. आवंटी को भुगतान सम्बन्धी जानकारी नही है एवं भुगतान में असंतुलन पाया गया

सोसाइटी द्वारा गठित पर्यवेक्षण दल की टिप्पणी –

नगर परिषद् चित्तोडगढ़ द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कुल 304 आवासों का निर्माण कराया गया था। निर्मित आवासों में से 115 आवासों को आवंटित कर आवंटियों को कब्ज़ा दिया जा चुका था। कॉलोनी में पानी, बिजली, सड़क एवं सीवरेज लाइन चालु अवस्था में थी। आतंरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जा चुका था।

दुर्गाप्रसाद दायमा (उपनिदेशक)
युगल किशोर (लेखाधिकारी)

4- परियोजना का नाम– एस.पी.एम भरतपुर जिला–भरतपुर

सा. अं. दिनांक	अनियमितताएं	सामाजिक अंकेक्षण दल की टिप्पणी
01/02/2023 से 3/02/2023	• सौर उर्जा सुविधा का लाभ नही मिल रहा है।	i. दीवारों पर सीलन एवं दरारें ii. बालकनी में पानी का निकास की व्यवस्था नहीं थी iii. सार्वजानिक शौचालय नही है

<u>सोसाइटी द्वारा गठित पर्यवेक्षण दल की टिप्पणी</u> –

नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा जाँच दल को आवश्यक रिकॉर्ड जैसे लाभार्थियों की सूची, सामाजिक अंकेक्षण प्रपत्र, एवं आवास का नक्शा आदि उपलब्ध करवाया गया। आवासीय परिसर में निवास कर रहे व्यक्तियों द्वारा सीलन, पानी की निकासी आदि से सम्बंधित शिकायत की गई।

किशन लाल शर्मा (सहायक लेखाधिकारी द्वितीय)

5. परियोजना का नाम– यूआईटी भीलवाड़ा जिला–भीलवाड़ा

सा. अं. दिनांक	अनियमितताएं	सामाजिक अंकेक्षण दल की टिप्पणी
01/02/2023 से 03/02/2023	• प्रोजेक्ट की विस्तृत एवं वित्तीय जानकारी सार्वजानिक नही है • आवास में स्वच्छ पेयजल सुविधा नही है • निर्माण की क्वालिटी ख़राब है • आवश्यक वस्तुओं की सुविधा नही है • सौर उर्जा सुविधा का लाभ नही मिल रहा है ।	i. आवासों में अत्यधिक गन्दगी मिली एवं दीवारे अति जर्जर हालत में हैं ii. खिड़कियाँ, दरवाजे, पाइप टूटी हालत में मिले ii. पंखे, बल्ब नही पाए गए

<u>सोसाइटी द्वारा गठित पर्यवेक्षण दल की टिप्पणी</u> –

नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी 608 आवास पूर्ण हो चुके है, जिसमे से 101 आवेदकों का पंजीयन कर 88 आवेदाकों को आवासों का कब्ज़ा दिया जा चुका है। कॉलोनी में पानी–बिजली एवं सीवरेज की लाइन चालू अवस्था में है। आंतरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन का भी निर्माण कराया गया है। कॉलोनी के चारों तरफ बाउन्डरी वाल भी बनाई गई है। कब्जाधारियों/आवंटियों के लिये शिकायत रजिस्टर भी संधारित किया गया एवं शिकायतों का निराकरण भी किया गया।

दुर्गाप्रसाद दायमा (उपनिदेशक)
युगल किशोर (लेखाधिकारी)

6. परियोजना का नाम– आर 1 से आर 4 साउथ एक्सटेंशन जिला–उदयपुर

सा. अं. दिनांक	अनियमितताएं	सामाजिक अंकेक्षण दल की टिप्पणी
01/02/2023 से 03/02/2023	• आवास योजना में अजा/अजजा/पिछडावर्ग/अल्पसंख्यक/अलग रूप से सक्षम व्यक्ति/ट्रांसजेन्डर/हाथ से मैला ढोने वाले/ महिलाओं आदि का समावेश नही किया गया है। • आवास निर्धारित अवधि में तथा निर्धारित मानको एवं विस्तृत जानकारी में पूर्ण नही हुआ • तकनीकी कमेटी का अस्तित्व नहीं है। • तकनीकी कमेटी द्वारा प्रोजेक्ट की गतिविधियों एवं कार्यो का पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है। • स्टेट लेवल टेक्निकल सेल द्वारा प्रोजेक्ट की गतिविधियों एवं कार्यो का पर्यवेक्षण नही किया जाता है। • सिटी लेवल टेक्निकल सेल द्वारा प्रोजेक्ट की गतिविधियों एवं कार्यो का पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है। • कदाचार एवं भ्रष्टाचार से बचने का उपाय नही है। • शिकायत निवारण का तंत्र नहीं है। • आवास में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है। • आवास निर्माण की क्वालिटी खराब है। • आवास निर्धारित मॉडल के अनुसार निर्मित नहीं है। • सीवरेज, संपर्क सडक, सार्वजनिक पार्क, सामुदायिक भवन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। • अस्पताल, सरकारी स्कूल की दूरी, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की सुविधा नहीं है। • जल संरक्षण नहीं हो रहा है। • ट्री प्लांटेशन नहीं है।	i. दीवारों में सीलन की गंभीर समस्या पाई गई है ii. अधिकांश आवास किराये से दिए जा रहे है iii. अधिकांश आवास खली एवं बंद मिले iv. अप्रात्र व्यक्तियों को आवास आवंटन पाया गया। v. सीवरेज, सम्पर्क सड़क, सार्वजानिक पार्क, सामुदायिक भवन की सुविधा उपलब्ध नही है vi. अस्पताल, सरकारी स्कूल की दूरी सार्वजानिक परिवहन व्यवस्थान एवं आवश्यक वस्तुओं की सुविधा नही है। vii. डंपिंग यार्ड में मृत पशु जलाये जाते है जिस से बहुत अधिक बदबू आती है एवं अत्यधिक प्रदुषण होता है।

	• आवासीय कल्याणकारी संगठन का गठन नहीं हुआ है। • सोलिड वैस्ट मैनेजमेन्ट नहीं है। • उजाला लाईट (एल.ई.डी.) नहीं उपलब्ध करायी। • उज्जवला योजना/गैस की सुविधा का लाभ नहीं मिला है।	

<u>सोसाइटी द्वारा गठित पर्यवेक्षण दल की टिप्पणी</u> –

नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 640 आवासों का निर्माण कर अवन्तियो को कब्ज़ा दिया गया। यूआईटी कार्यालय में संपर्क कर आवश्यक रिकॉर्ड जैसे आवंटियों की सूची, आवंटन पत्रावली अंकेक्षण दल को उपलब्ध करवाई गई। अधिकांश आवासों में सीलन एवं पानी के रिसाव की समस्या पाई गई जिसके सम्बन्ध में यूआईटी के सम्बंधित अधिकारी को तुरंत ठीक करवाने हेतु निर्देशित किया गया। आवंटियों की शिकायत दर्ज करने हेतु शिकायत पंजिका संधारित करने हेतु निर्देशित किया गया।

दुर्गाप्रसाद दायमा (उपनिदेशक)
युगल किशोर (लेखाधिकारी)

7- परियोजना का नाम– बेडवास उदयपुर/यूआईटी जिला–उदयपुर

सा. अं. दिनांक	अनियमितताएं	सामाजिक अंकेक्षण दल की टिप्पणी
01/02/2023 से 03/02/2023	• आवास योजना में अजा/अजजा/पिछडावर्ग/अल्पसंख्यक/अलग रूप से सक्षम व्यक्ति/ ट्रांसजेन्डर/हाथ से मैला ढोने वाले/ महिलाओं आदि का समावेश नही किया गया है। • तकनीकी कमेटी का अस्तित्व नहीं है। • तकनीकी कमेटी द्वारा प्रोजेक्ट की गतिविधियों एवं कार्यो का पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है। • स्टेट लेवल टेक्निकल सेल द्वारा प्रोजेक्ट की गतिविधियों एवं कार्यो का पर्यवेक्षण नही किया जाता है। • सिटी लेवल टेक्निकल सेल द्वारा प्रोजेक्ट की गतिविधियों एवं कार्यो का पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है। • कदाचार एवं भ्रष्टाचार से बचने का उपाय नही है। • शिकायत निवारण का तंत्र नहीं है। • आवास निर्माण की क्वालिटी खराब है। • सीवरेज, संपर्क सडक, सार्वजनिक पार्क, सामुदायिक भवन की सुविधा उपलब्धनहीं है। • आवासीय कल्याणकारी संगठन का गठननहीं हुआ है।	i. कुछ आवास किराये से दे दिए गए हैं ii. कुछ आवासों का विक्रय कर दिया गया है। ii. पानी निकासी की समस्या।

<u>सोसाइटी द्वारा गठित पर्यवेक्षण दल की टिप्पणी</u> –

नगर विकास न्यास उदयपुर द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 848 आवासों का निर्माण कराया जाकर आवंटियों को आवास का कब्ज़ा दिया गया था। कॉलोनी में पानी, बिजली, सीवरेज लाइन चालु अवस्थान में मिली। आतंरिक सड़क इवं सामुदायिक भवन का भी निर्माण करवाया हुआ था। अधिकांश आवासों में सीलन एवं पानी के रिसाव की समस्या पाई गई जिसके सम्बन्ध में यूआईटी के सम्बंधित अधिकारी को तुरंत ठीक करवाने हेतु निर्देशित किया गया। आवंटियों की शिकायत दर्ज करने हेतु शिकायत पंजिका संधारित करने हेतु निर्देशित किया गयज्ञं

दुर्गाप्रसाद दायमा (उपनिदेशक)
युगल किशोर (लेखाधिकारी)

8. परियोजना का नाम– मोहन लाल सुखाडिया कोटा/यूआईटी जिला–कोटा

सा. अं. दिनांक	अनियमितताएं	सामाजिक अंकेक्षण दल की टिप्पणी
01/02/2023 से 03/02/2023	• अस्पताल, सरकारी स्कूल की दूरी सार्वजानिक परिवहन व्यवस्थान एवं आवश्यक वस्तुओं की सुविधा नही है • जल संरक्षण नही हो रहा है • सौर उर्जा सुविधा का लाभ नही मिल रहा है • उजाला लाइट (एल.ई.डी.) उपलब्ध नही करायी गई। • उज्ज्वला योजना का लाभ नही मिला।	i. मूल आवंटित व्यक्ति नही मिले अधिकांश किरायेदार मिले ii. अधिकतर आवास किराये पर दिए जा चुके है या विक्रय कर दिए गए है ii. पानी की व्यवस्था नही एवं सामुदायिक भवन का अभाव

<u>सोसाइटी द्वारा गठित पर्यवेक्षण दल की टिप्पणी</u> –

नगर परिषद कोटा द्वारा अंकेक्षण दलों को वश्यक रिकॉर्ड जैसे लाभार्थियों की सूची, समाजिक अंकेक्षण प्रपत्र एवं आवास का नक्षा, अनुबंध पात्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, भुगतान वाउचर्स आदि रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया एवं सामाजिक अंकेक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ।

मातादीन सिंह (सहायक लेखाधिकारी)

9. परियोजना का नाम– चन्द्र शेखर आजादकोटा/यूआईटी जिला–कोटा

सा. अं. दिनांक	अनियमितताएं	सामाजिक अंकेक्षण दल की टिप्पणी
04/04/2023 से 07/04/2023	• लाभार्थियों में जागरूकता नही है • योजना में अजा/ अजजा/ पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ दिव्यांग/ ट्रांसजेंडर/ हाथसे मैला ढोने वाले/ महिलाओं आदि का समावेश नही किया गया • कदाचार एवं भ्रष्टाचार से बचने का उपाय नही है • सौर उर्जा सुविधा का लाभ नही मिल रहा है • लाभार्थियों के चयन एवं आवंटन में पारदर्शिता नही है • सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नही है • उजाला लाइट (एल.ई.डी.) उपलब्ध नही करायी गई • उज्ज्वला योजना का लाभ नही मिला।	i. घटिया निर्माण सामग्री ii. छत से पानी टपक रहा है । iii. कांच टूट चुके है।

<u>सोसाइटी द्वारा गठित पर्यवेक्षण दल की टिप्पणी</u> –

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा जाँच दल को आवश्यक रिकॉर्ड जैसे लाभार्थियों की सूची, सामाजिक अंकेक्षण प्रपत्र, एवं आवास का नक्शा आदि उपलब्ध करवाया गया। आवासीय परिसर में निवास कर रहे व्यक्तियों द्वारा सीलन, पानी की निकासी आदि से सम्बंधित शिकायत की गई।निर्मित आवासों में किरायेदार निवास कर रहे थे एवं कुछ निर्मित आवासों का राज्य सरकार के नियमो के विपरीत इकरारनामा के द्वारा बेचान कर दिया गया था।

किशन लाल शर्मा (सहायक लेखाधिकारी)
दरब सिंह (लेखा सहायक)

10. परियोजना का नाम– रायपुरा योजना कोटा/यूआईटी जिला–कोटा

सा. अं. दिनांक	अनियमितताएं	अंकेक्षण दलों द्वारा पाई गई अतिरिक्त अनियमितताएं	सामाजिक अंकेक्षण दल की टिप्पणी
04/04/2023 से 07/04/2023	• योजना में अजा/ अजजा/ पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ दिव्यांग/ ट्रांसजेंडर/ हाथसे मैला ढोने वाले/ महिलाओं आदि का समावेश नही किया गया • प्रोजेक्ट की विस्तृत एवं वित्तीय जानकारी सार्वजानिक नही है • सामजिक अंकेक्षण दल को रिकॉर्ड उपलब्ध नही करवाया गया • CLTC द्वारा पर्यवेक्षण नही किया जाता है • कदाचार एवं भ्रष्टाचार से बचने का उपाय नही है • सीवरेज, सम्पर्क सड़क, सार्वजानिक पार्क, सामुदायिक भवन की सुविधा उपलब्ध नही है • सड़क, सार्वजानिक पार्क, सामुदायिक भवन की सुविधा उपलब्ध नही है • जल संरक्षण नही हो रहा है • ट्री प्लांटेशन नही हो रहा है • सौर उर्जा सुविधा का लाभ नही मिल रहा है • आवासीय कल्याणकारी संगठन का गठन नही हुआ है • सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नही है • आयुष्मान भारत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नही है • उज्ज्वला योजना का लाभ नही मिला	**दल –I** • अस्पताल, सरकारी स्कूल की दूरी सार्वजानिक परिवहन व्यवस्थान एवं आवश्यक वस्तुओं की सुविधा नही है **दल –I, II, III** • तकनिकी कमिटी का अस्तित्व नही है **दल – I, II, IV** • SLTC द्वारा पर्यवेक्षण नही किया जाता है **दल – III** • उजाला लाइट (एल.ई. डी.) उपलब्ध नही करायी गई	i. सूचना पट उपलब्ध नही है ii. विस्तृत रिपोर्ट एवं वित्तीय स्वीकृति आदि का ब्यौरा उपलब्ध नही करवाया गया। iii. सीलन की समस्या है एवं छत से पानी टपकने की समस्या है iv. पानी निकासी की सुविधा नही है। v. पाइप सिस्टम खराब है

<u>सोसाइटी द्वारा गठित पर्यवेक्षण दल की टिप्पणी</u> –

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा जाँच दल को आवश्यक रिकॉर्ड जैसे लाभार्थियों की सूची, सामाजिक अंकेक्षण प्रपत्र, एवं आवास का नक्शा आदि उपलब्ध करवाया गया। आवासीय परिसर में निवास कर रहे व्यक्तियों द्वारा सीलन, पानी की निकासी आदि से सम्बंधित शिकायत की गई।निर्मित आवासों में किरायेदार निवास कर रहे थे एवं कुछ निर्मित आवासों का राज्य सरकार के नियमो के विपरीत इकरारनामा के द्वारा बेचान कर दिया गया था।

किशन लाल शर्मा (सहायक लेखाधिकारी)
दरब सिंह (लेखा सहायक)

11. परियोजना का नाम– एमएलएस ब्लॉक, डी एंड जी,कोटा/यूआईटी जिला–कोटा

सा. अं. दिनांक	अनियमितताएं	सामाजिक अंकेक्षण दल की टिप्पणी
04/04/2023 से 07/04/2023	• शिकायत निवारण तंत्र नही है। • सामुदायिक भवन की सुविधा उपलब्ध नही है। • अस्पताल, सरकारी स्कूल की दूरी सार्वजानिक परिवहन व्यवस्थान एवं आवश्यक वस्तुओं की सुविधा नही है। • सौर उर्जा सुविधा का लाभ नही मिल रहा है। • आवासीय कल्याणकारी संगठन का गठन नही हुआ है। • उज्ज्वला योजना का लाभ नही मिला।	NIL

12. परियोजना का नाम– मंगलम अपार्टमेंट प्रेमनगर, कोटा/यूआईटी जिला–कोटा

सा. अं. दिनांक	अनियमितताएं	अंकेक्षण दलों द्वारा पाई गई अतिरिक्त अनियमितताएं	सामाजिक अंकेक्षण दल की टिप्पणी
10/04/2023 से 13/04/2023	• लाभार्थियों में जागरूकता नही है • प्रोजेक्ट की विस्तृत एवं वित्तीय जानकारी सार्वजानिक नही है • SLTC द्वारा पर्यवेक्षण नही किया जाता है • CLTC द्वारा पर्यवेक्षण नही किया जाता है • आवास में स्वच्छ पेयजल सुविधा नही है • जल संरक्षण नही हो रहा है • सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नही है • आयुष्मान भारत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नही है • उज्ज्वला योजना का लाभ नही मिला	**दल – I** • कदाचार एवं भ्रष्टाचार से बचने का उपाय नही है • शिकायत निवारण तंत्र नही है • ट्री प्लांटेशन नही हो रहा है • आवासीय कल्याणकारी संगठन का गठन नही हुआ है	i. गन्दगी से बुरा हाल है, कचरा उठाने एवं सवाई कर्मी की व्यवस्था नही है। ii. सोसाइटी असामाजिक तत्वों से परेशान है।

12 परियोजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण में पाई गई अनियमितताओं का प्रतिशत

क.सं.	अनियमितता	प्रतिशत
1	जागरूकता – लाभार्थियों में जागरूकता नहीं है।	25
2	समावेश – आवास योजना में अजा/अजजा/पिछडावर्ग/अल्पसंख्यक/अलग रूप से सक्षम व्यक्ति/ट्रांसजेन्डर/हाथ से मैला ढोने वाले/ महिलाओं आदि का समावेश नहीं किया गया ह।	33.33
4	प्रभावशीलता और दक्षता – आवास निर्धारित अवधि में तथा निर्धारित मानको एवं विस्तृत जानकारी में पूर्ण नही हुआ।	25
5	पारदर्शिता– प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी, वित्तीय जानकारी सार्वजनिक नही है।	41.66
6	वार्षिक कार्य योजना, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाभार्थियों का चयन एवं आवंटन में पारदर्शिता नही है।	16.66
7	तकनीकी समितिका अस्तित्व नहीं है।	33.33
12	स्टेट लेवल टेक्निकल सेल द्वारा प्रोजेक्ट की गतिविधियों एवं कार्यो का पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है।	41.66
13	सिटी लेवल टेक्निकल सेल द्वारा प्रोजेक्ट की गतिविधियों एवं कार्यो का पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है।	50
14	जवाबदेहिता – कदाचार एवं भ्रष्टाचार से बचने का उपाय नहीं है।	41.55
15	शिकायत निवारण का तंत्र नहीं ह।	33.33
16	आवंटन– राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के आधार पर आवंटन पात्र लाभार्थियों को हुआ या नहीं।	16.66
17	आवास शहरी में आधारभूत सुविधाओं के संबंध में आवास में बिजली कनेक्शन नहीं है।	0.08
18	आवास में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है।	25
19	आवास निर्माण की क्वालिटी खराब है।	33.33
20	आवास निर्धारित मॉडल के अनुसार निर्मित नहीं है।	16.66
21	सीवरेज, संपर्क सडक, सार्वजनिक पार्क, सामुदायिक भवन की सुविधा उपलब्ध नही है।	41.66
22	अस्पताल, सरकारी स्कूल की दूरी, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की सुविधा नही है।	33.33
23	जल संरक्षण नही हो रहा है।	41.66
24	ट्री प्लांटेशन नहीं है।	25
25	सौर ऊर्जा सुविधा का लाभ नहीं मिला है।	66.66
26	आवासीय कल्याणकारी संगठन का गठन नहीं हुआ।	41.66
27	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नही है।	33.33
28	उजाला लाइट (एलईडी) उपलब्ध नही कराई है।	41.66
29	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नही ह।	33.33
30	उज्ज्वला योजना/ गैस की सुविधा का लाभ नही मिला है	66.67

PMAY-U